

भास्कर खास

21 से 45 वर्ष के 12वीं पास युवा खाली पद देखकर आज से कर सकेंगे आवेदन 33 फीसदी महिला आरक्षण के साथ प्रदेश में खुलेंगे 2,651 नए राशन डिपो, 10 नवंबर तक होंगे आवेदन

सौमित्र शुक्ला | रेवाड़ी

राज्य भर में खाली पड़ी 2,651 उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपोओं) के नए लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। सीएम नाथ सिंह सैनी शनिवार, 10 अक्टूबर को इसके लिए विशेष रूप से तैयार ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे।

इस योजना के तहत 33% राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। विभाग ने जिलावार व ग्रामवार खाली डिपोओं की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, ताकि आवेदक अपने क्षेत्र की रिक्ति देखकर

पोर्टल पर स्टेप-बाय-स्टेप ऐसे जमा होगा फॉर्म

सबसे पहले अंत्योदय सरल पोर्टल ([<https://saralharyana.gov.in>])(<https://saralharyana.gov.in>) पर लॉगिन कर न्यू एफपीएस लाइसेंस का चयन करें। फिर एचपीडीएस पोर्टल पर जाकर चैक वैकेंसी से अपने वार्ड या गांव में खाली सीट जांचें। इसके बाद फैमिली आईडी दर्ज कर अपना नाम चुनें। पीपीपी से डेटा अपने आप री-डायरेक्ट हो जाएगा। अब प्रस्तावित दुकान का पूरा पता दर्ज कर फॉर्म रिव्यू करें और सबमिट कर दें। अंत में मिले एप्लिकेशन नंबर को सुरक्षित रख लें।

आवेदन कर सकें। आवेदन की आयु 21 से 45 वर्ष और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदक उसी गांव या वार्ड का मूल निवासी होना चाहिए। बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र जरूरी

है। ऑनलाइन आवेदन के बाद एरिया इंस्पेक्टर आवेदक के प्रस्तावित स्थल व दस्तावेजों का फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे। सत्यापन के समय आवेदक को मूल दस्तावेज, दुकान का लीज या मालिकाना हक पत्र, साइट मैप

गांव-गांव पहुंचेगा राशन

■ 2,651 नए राशन डिपोओं के लिए नया पोर्टल 10 अक्टूबर को शुरू होगा। इसका उद्देश्य हर पात्र व्यक्ति तक खाद्यान्न की आसान पहुंच सुनिश्चित करना व युवाओं को आजीविका देना है।' -सुरेंद्र सैनी, उप-निदेशक (पीडीएस), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

और स्व-सत्यापित शपथ पत्र दिखाने होंगे। इसके अलावा दो शपथ पत्र देने होंगे। पहला, आवेदक स्थानीय सरपंच या पार्षद का निकट संबंधी न हो और दूसरा, उसका कोई राशन डिपो लाइसेंस पहले कभी रद्द न हुआ हो।